

23/02/26

पत्राव पेसा इरी पार्टी वकील अपरा मूल वाद-पत्र  
अदम पेरी मे 0925 के तहत खारिज किया  
जा चुका है। डाठ पत्र 212 सी ज यत्ने ज  
केई औचित्य नहीं है। अतः डाठ पत्र 212 सी भी  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्राव  
फैसल शुमार लेकर दारिजल दफतर हो।